



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1132) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 372 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 52, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 345, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	2202 10 10	वातित जल”;
-----	------------	------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)2924)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव ।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 372, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)2924)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

S.O. 372, Dated 30th September 2019—In exercise of the powers conferred under the proviso to the sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 52, dated the 07th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 345, dated the 07th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the table, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

“2A.	2202 10 10	Aerated Water”.
------	------------	-----------------

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 2924)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1132-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>